

## अन्तिम सार्वजनिक सूचना

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6962/2005 आर0के0मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5.12.2011, दिनांक 9.1.2012 एवं दिनांक 23.1.2012 के अनुपालन में सभी आबंटी, जो अनुमन्य भू उपयोग के विपरीत अपने परिसर से बैंकिंग अथवा किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, उसे तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे एवं उक्त प्रकार की गतिविधि को अनुमन्य भू उपयोग में स्थानान्तरित कर दें। ना करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा आबंटियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त का अनुपालन ना करना मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होगी।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सी